बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

# बाढ़ 2021: दैनिक प्रतिवेदन

दिनांक : 01.09.2021

I. **राज्य में बाढ़ की वर्तमान स्थिति** : वर्तमान में बाढ़ से कुल **16** जिले यथा **मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, सहरसा, पटना, वैशाली, भागलपुर, सारण, कटिहार, मुंगेर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, प0 चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज एवं मधेपुरा** के **86** प्रखण्डों के अन्तर्गत कुल **489** पंचायत आंशिक अथवा पूर्ण रूप से प्रभावित हैं।

| | | |
|---|---|---|
| 1 | प्रभावित जिलों की संख्या | **16** |
| 2 | प्रभावित प्रखण्डों की संख्या | **86** |
| 3 | प्रभावित पंचायतों की संख्या | **489** |
| 4 | प्रभावित गाँवों की संख्या | **2003** |
| 5 | प्रभावित जनसंख्या (लाख में) | **29.37** |
| 6 | निष्क्रमित जनसंख्या | **215355** |
| 7 | चलाए जा रहे राहत शिविर की संख्या | **4** |
| 8 | राहत शिविरों में आवासित बाढ़ पीड़ितों की संख्या | **497** |
| 9 | आज चलाए गए सामुदायिक रसोई की संख्या | **141** |
| 10 | आज संचालित सामुदायिक रसोईयों में भोजन करने वालों की संख्या (दिन–रात मिलाकर) | **125816** |
| 11 | आज चलाए गए नावों की कुल संख्या | **1813** |
| 12 | मृतकों की संख्या | **44** |

II. बाढ़ प्रभावित उपर्युक्त जिलों में एन0डी0आर0एफ0 की **17** टीमों को एवं एस0डी0आर0एफ0 की **12** टीमों को राहत एवं बचाव कार्य हेतु प्रतिनियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त **2** एन0डी0आर0एफ0 एवं **3** एस0डी0आर0एफ0 की टीमों को अन्य बाढ़ प्रवण जिलों में प्रिपोजिशन (Preposition) किया गया है।

III. बाढ़ प्रभावित जिलों में आज राहत एवं बचाव कार्यों तथा आवागमन को सुगम बनाने हेतु कुल **1813** नावों का परिचालन कराया गया है तथा आवश्यकता बढ़ने पर इसकी संख्या तद्नुसार बढ़ायी जाएगी।

IV. राज्य में आये बाढ़ के कारण विभिन्न जिलों में अबतक **353773** पॉलीथीन शीट् एवं **472286** ड्राईराशन पैकेट का वितरण किया गया है।

V. **GR राशि का भुगतान** : अबतक **7,94,329** बाढ़ प्रभावित परिवारों को आनुग्रहिक राहत (GR) की राशि के रूप में प्रति परिवार रु0 6000/– की दर से कुल रु0 **476.60** करोड़ (**चार सौ छिहत्तर करोड़ साठ लाख)** की राशि के भुगतान की कार्रवाई की गई है। शेष लाभुक परिवारों को GR की राशि के भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। सभी को सीधे बैंक खाते में राशि भेजी जा रही है।

VI. बाढ़ से हुए फसल क्षति का आकलन भी कराया जा रहा है। आकलन के उपरान्त फसल क्षति हेतु किसानो को कृषि इनपुट अनुदान की राशि का भुगतान किया जाएगा।

**गंगा एवं अन्य नदियों के जलस्तर पर जल संसाधन विभाग के अभियंताओं के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है।**